रजिस्ट्रेशन संख्या :- R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :- के पी सिटी- 67/2018-20
चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र
पाक्षिक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :-
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/504 एस ब्लॉक कानपुर-208014

वर्ष -40 ● अंक -5 ● कानपुर 1 से 15 मार्च 2018 ● प्रधान सम्पादक - डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य - ₹ 100

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता शीघ्र

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को भारत सरकार द्वारा शीघ्र मान्यता प्रदान की जायेगी यह जानकारी भारत सरकार ने 12 फरवरी, 2018 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के महासचिव श्री प्रमोद शंकर बाजपेई को पत्र लिखकर दी, यह जानकारी मिलते ही इलेक्ट्रो होम्योपैथों में खुशी की लहर व्याप्त हो गयी और वर्षों से चली आ रही प्रतीक्षा समाप्त होने के लक्षण स्पष्ट होने लगे हैं आपको बताना उचित होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के नियमितिकरण/मान्यता का प्रकरण पिछले एक साल से चर्चा में है वर्ष 2017 में 28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार ने एक नोटिस जारी कर सम्पूर्ण भारत के इलेक्ट्रो होम्योपैथों से कुछ जानकारी चाही थी इस जानकारी का नाम प्रपोज़ल दिया गया था और प्रपोज़लों को भेजने के लिये 28 फरवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक का समय निर्धारित किया गया था इस समयावधि के अन्दर पूरे देश से काफी बड़ी संख्या में प्रपोज़ल्स भेजे गये, इन प्रपोज़लों को देखने और उचित-अनुचित का निर्णय लेने हेतु भारत सरकार द्वारा एक इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का गठन किया गया, इस इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी ने तमाम प्रस्तावों का अवलोकन करने के बाद मात्र 27 प्रपोज़ल ऐसे पाये जो योग्य समझे गये इन्हीं 27 लोगों को 09 जनवरी, 2018 के दिन प्रपोज़लों में दी गयी जानकारी से सम्बंधित सूचनायें भारत सरकार के इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सामने रखने का अवसर दिया गया, जिन लोगों ने 09 जनवरी, 2018 को कमेटी के सामने उपस्थित होकर अपने पक्ष रखे जब वे लोग निकलकर बाहर आये तो हर व्यक्ति ने अपने-अपने स्तर से जानकारियां दीं परन्तु कोई भी जानकारी अन्तिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच रही थी, परिणामतः भ्रम की स्थिति निर्मित हो गयी हालत यह हो गयी कि लोग एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे इससे स्थिति यह बनीं कि हमारे साथियों ने यह कहना शुरु कर दिया कि कमेटी ने मौखिक रुप से कहा है कि जो कागज अभी तक आप लोगों ने नहीं दिये हैं वह 20 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत कर दीजिये इस 20 फरवरी की तिथि का इतना व्यापक प्रचार किया गया जिससे आम इलेक्ट्रो होम्योपैथ के मन में यह बात घर कर गयी कि 20 फरवरी, 2018 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल जायेगी, जबकि यह बातें सत्यता से कोसों दूर थीं, अन्य लोगों की तरह हमने भी 20 फरवरी की सत्यता जानने के लिये बिना प्रतिवाद किये प्रतीक्षा की, यद्यपि हमको यह ज्ञात था कि भारत सरकार की तरफ से इस तरह की कोई भी सूचना नहीं जारी की गयी थी, परन्तु हमारे साथी हैं कि उन्हें इस बात का भान भी नहीं रहता है जब सच्चाई सामने आयेगी तब क्या होगा ? यही बात इस बार भी हुई जो 20 फरवरी का दावा कर रहे थे वह अपनी बात से मुकर गये और यह तो होना ही था क्योंकि जब कोई बात झूठ के आधार पर होती है तो वहां परिणामों की अपेक्षा नहीं होती है, आपको ज्ञात ही होगा कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ने कोई भी प्रपोज़ल भारत सरकार को नहीं प्रेषित किया पूरा देश इस बात से विचलित था कि जो संगठन 40 साल से लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्य में लगा है वह इस अवसर का लाभ क्यों नहीं उठा रहा है ! कुछ लोगों के लिए यह आज भी पहेली है लेकिन यहां पर दिशा एक दम साफ थी क्योंकि भारत सरकार ने 21 जून, 2011 को एक आदेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा,शिक्षा और अनुसंधान पर अपनी सहमति दी थी और यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के नाम जारी किया था, कई बार भारत सरकार ने 21 जून, 2011 के आदेश को ही प्रभावी माना।

एक स्थान पर भारत सरकार द्वारा 21 जून, 2011 के आदेश को रिगुलेट्री आदेश कहा इस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया एक नियामक संस्था के रूप में जानी गयी और आजतक यह संस्था इसी रूप में काम कर रही है, देश की स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने जब एक वक्तव्य जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथों में सनसनी पैदा कर दी थी तब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने सधे हुए कदमों से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और लगातार इस विषय पर भारत सरकार से सम्पर्क में भी है, जब अक्टूबर व नवम्बर के महीने में कुछ कार्यवाहियां सरकार द्वारा की गयीं तब भारत सरकार ने 21 दिसम्बर, 2017 को इहमाई को पत्र लिखकर सूचित किया कि मान्यता के प्रकरण में अभी भी भारत सरकार का स्टैण्ड 21 जून, 2011 है, एक तरफ जहां सारे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थान के प्रमुख इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सामने जाने को बेताब हो रहे थे वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया के महासचिव श्री प्रमोद शंकर बाजपेयी को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का प्रकरण अभी भी 21 जून, 2011 के आदेश के अनुरूप है। जैसे ही 9 जनवरी को इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सामने अपने विचार रखकर आमंत्रित सदस्यगण आने वाले निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे और 20 फरवरी की बात कर रहे थे तभी 12 फरवरी, 2018 को एक बार फिर भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के महासचिव श्री प्रमोद शंकर बाजपेयी को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि 9 जनवरी, 2018 को इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा जो लोगों का साक्षात्कार लिया गया था वह निस्तारण किया जा चुका है, यह भी सूचित किया कि अभी भी मान्यता के विषय पर भारत सरकार का स्टैण्ड 21 जून, 2011 के आदेश पर ही स्थिर है, साथ ही यह भी कहा कि प्रकरण निस्तारित होगा।

इस पत्र से यह स्पष्ट हो चुका है कि शीघ्र ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का प्रकरण साकारात्मक परिणाम के साथ पटाक्षेप को प्राप्त करेगा, सरकार इस सन्दर्भ में कुछ नीतियां भी बनायेगी जिनके आधार पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन होगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पाठ्यक्रम और अवधि का निर्धारण भी भारत सरकार द्वारा शीर्घ किये जानी की सम्भावना है और हम इस बात की पूरी अपेक्षा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया जो आज नियामक भूमिका में है बहुत सम्भव है भारत सरकार यह दायित्व इसी संगठन को सौंपे।

- ✓ भारत सरकार की सूचना
- ✓ विरोध नहीं-संगठित हों
- ✓ 20 फरवरी कुछ नहीं
- ✓ फिर 21 जून, 2011
- ✓ समय आपके साथ

उद्देश्य पूर्ति से बढ़ गई ज़िम्मेदारी

12 फरवरी, 2018 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में जो सकारात्मक सूचना इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को दी गयी उससे यह बात स्पष्ट हो गयी है कि आगामी कुछ दिनों में ही उद्देश्य की प्राप्ति हो जायेगी, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 जो निरन्तर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में कार्य करता रहता है, इन परिस्थितियों में उसका दायित्व और भी बढ़ गया है।

इन दायित्वों को पूरा करने के लिये बोर्ड ने कुछ नीतियां बनायी हैं, इन नीतियों की पुष्टि व इनको लागू करने के लिये दिशा निर्देश पाने हेतु बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की एक आवश्यक बैठक 17 फरवरी, 2018 को बोर्ड के प्रशासनिक कार्यालय में आयोजित हुयी, बोर्ड के अध्यक्ष डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने बैठक को नई स्थिति की जानकारी दी व सभी सदस्यों को 12 फरवरी, 2018 की प्रति देते हुये उनसे इस बिन्दु पर चर्चा की व उनकी विशेषज्ञ राय भी ली, सभी सदस्यों ने इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथी व बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के उज्जवल व मंगल भविष्य की कामना करते हुये कहा कि यह बहुत सम्मान का विषय है कि बोर्ड निरन्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मज़बूत कर रहा है देश की जनता को अब और आसानी से इस चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सकेगा तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा के चिकित्सक और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बोर्ड के प्रवक्ता डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई ने बोर्ड की नीतियों से सदस्यों को अवगत कराया, सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया, बैठक में डा0 के0 सी0 सिंघल, डा0 ओम शंकर मिश्र, डा0 राजेन्द प्रसाद, डा0 संजय द्विवेदी, डा0 अयाज़ अहमद, डा0 पी0 एन0 कुशवाहा ने अपनी विशेषज्ञ राय देते हुये शुभकामनायें दीं

गुज़र गयी 20 फरवरी

तिथियों का अपना महत्व अलग ही होता है हर तिथि अपने अन्दर अपनी महत्ता के कुछ रहस्य छुपाये रहती है और यही रहस्य मनुष्य को बांधे रहता है साथ ही कुछ नया करने के लिये भी प्रेरित करता है, हम सब सामाजिक प्राणी हैं अतऐव इन तिथियों के बन्धन से आसानी से विलग नहीं हो पाते।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो पूरे भारत में प्रचलित तो है स्वीकार भी है परन्तु कोई न कोई ऐसा विचार पैदा कर दिया जाता है और हमारे साथियों द्वारा यह विचार पैदा किये जाते हैं जिससे कि अतृप्त मन से जिज्ञासायें शान्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं और यह जिज्ञासायें तिथियों के घालमेल में गोल–गोल घूमती रहती हैं।

इसे हम विडम्बना ही कहेंगे कि जब से इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्तित्व में आयी तबसे तिथियों का "मकड़जाल" पीछा ही नहीं छोड़ता है, ज्यादा पीछे न जाकर हम सिर्फ एक वर्ष का सिंहावलोकन करें तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से तिथियां इलेक्ट्रो होम्योपैथी से मोह बनाये हुये हैं, पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिये चलाये जा रहे आन्दोलन की हर एक तिथि की बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा हुआ करती थी, फिर 28 फरवरी, 2017 का जन्म हुआ इस तिथि ने प्रतीक्षा को चार तिथियों में बांट दिया 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर व 31 दिसम्बर, हर तिथि की प्रतीक्षा रहती थी नया होने की आस में, धीरे–धीरे 31 दिसम्बर भी पार हो गयी फिर प्रतीक्षा प्रारम्भ हुयी नयी तिथि 09 जनवरी, 2018 की यह तिथि भी पार हो गयी।

09 जनवरी को जो लोग सरकार द्वारा गठित इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का सामना करके आये थे उन्होंने पूरे देश में प्रतीक्षा के लिये एक नयी तिथि की घोषणा कर दी कि भारत सरकार द्वारा 20 फरवरी की तिथि पुनः निर्धारित की गयी है इस दिन भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कुछ न कुछ निर्णय जरुर ले लेगी, 20 फरवरी 2018 की तिथि का इस हद तक प्रचार किया गया कि पूरे देश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस तिथि की प्रतीक्षा करने लगा कि शायद इस दिन कुछ अच्छा हो जाये, वैसे अच्छा और बुरा जीवन में तो होता ही रहता है परन्तु जब परिणामों के लिये कोई तिथि निश्चित कर दी जाती है तो प्रायः मानव का चंचल मन अपेक्षित भाव से उस तिथि की प्रतीक्षा करने लगता है। परन्तु जहाँ कोई तिथि निश्चित ही न हुयी हो तो वहाँ "क्या परिणाम आने और क्या जाने" कुछ हो या न हो पर ऐसी घटनायें अविश्वास को जन्म दे देती हैं।

20 फरवरी, 2018 का दिन तो गुज़र गया और कुछ भी नहीं बदला, जो लोग 14–15 फ़रवरी तक यह दावा करते घूम रहे थे कि 20 फरवरी को भारत सरकार कुछ न कुछ निर्णय ले लेगी उनके स्वर बदल गये, 20 के पहले ही एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि ऐसी बात किसी अन्य द्वारा फैलायी गयी है, यह बात किसी भी तरह से एक सभ्य समाज में स्वागत योग्य नहीं होती, जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी को राजनीति का अखाड़ा समझते हैं उन लोगों के लिये भी ऐसी बातें कभी भी लाभकारी नहीं होतीं, किसी को भावनाओं में बहका कर एक दो बार तो अपना हित साधा जा सकता है परन्तु इसके दूरगामी परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते और कहीं न कहीं यह हम सभी को प्रभावित करते हैं।

अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम पायेंगे कि तिथियों को विवादित बनाने की हमारे साथियों की पुरानी आदत है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक मैटी की मृत्यु तिथि 04 सितम्बर सर्वमान्य तिथि के रुप में स्वीकार है परन्तु कुछ नया करने की चाह में यहां भी कुछ नया कर दिया गया, यहां तक तो ठीक है पर 20 फरवरी, 2018 की तिथि घोषित करना जिसके भी मस्तिष्क की उपज हो वह प्रणाम के योग्य है, किसी की भावनाओं को आहत करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहरायी जा सकती है इसलिये जो कुछ भी गुज़र गया उसपर ज़्यादा चर्चा न हो तो ठीक है इसके साथ–साथ इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति भी कदापि नहीं होनी चाहिये।

भारत सरकार निरन्तर प्रयासशील है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अन्य प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों की भांति चिकित्सा की मुख्य धारा से जोड़ा जाये इस हेतु जो भी सकारात्मक प्रयास भारत सरकार द्वारा किये जाने चाहिये वे किये जा रहे हैं 09 जनवरी, 2018 को भारत सरकार द्वारा गठित इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के समक्ष जो कुछ भी प्रस्तुतिकरण किया गया है उसपर सरकार द्वारा निर्णय जो अभीतक प्रतीक्षित है को अपनी बातों से विवादित न बनायें।

अस्थिर न हों ! अधिकारों को समझें !

पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश के विभिन्न अंचलों से चिकित्सकों द्वारा निरन्तर यह सूचनायें दी जा रही हैं कि अमुक चिकित्सक के यहां डिप्टी सी0एम0ओ0 का छापा पड़ा और डिप्टी सी0एम0ओ0 द्वारा चिकित्सक की जांच–पड़ताल की गयी जिसमें जाँच–पड़ताल के दौरान अधिकारियों द्वारा चिकित्सकीय कागज़ात मांगे जाते हैं और कागज़ात दिखाने पर अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के विषय में और कागज़ों के विषय में अविश्वस्नीयता जतायी जाती है, इस प्रकार की सूचनायें हर दिन दो–चार अवश्य आ ही जाती हैं इससे चिकित्सक समाज विचलित और परेशान हो जाता है, साथ ही साथ जिस चिकित्सक या जिस व्यक्ति द्वारा इस तरह की सूचना दी जाती है जब उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि क्या जाँच आपके यहां हुयी है ?इसके उत्तर में अधिकांश चिकित्सकों का यह जवाब होता है कि हमारे यहां तो नहीं आये थे परन्तु आगे वाले चिकित्सक के यहां आये थे, जब उनसे पुनः प्रश्न किया जाता है कि जब आपके क्लीनिक में जाँच नहीं हुयी तो आप परेशान क्यों हैं ?तो उस चिकित्सक का रटा रटाया सा जवाब मिलता है कि सर ! यदि आज हमारे यहां नहीं आये तो क्या हुआ कभी तो आ ही सकते हैं, यदि आ गये तो हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों से रोज़ दो–चार होना पड़ रहा है, इन्हीं प्रश्न और उत्तर के सिलसिले में जब जानकारी ली जाती है कि आप किस पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं ?तो 99 प्रतिशत चिकित्सक यही जानकारी देता है कि उसके द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति ही व्यवहार में लायी जा रही है। तमाम बिन्दुओं पर विचार करने के बाद जो दृष्य उभरकर सामने आता है वह यह विचारने पर विवश कर देता है कि इतनी जागरुकता फैलाने के उपरान्त भी चिकित्सक के मन में यह भय जैसा भाव आख़िर क्यों है ! आज की तिथि मे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये स्वस्थ वातावरण है, स्वस्थ वातावरण के साथ–साथ पूरी अधिकारिता भी है, अधिकारों के रुप में 21 जून, 2011 को भारत सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान का आदेश जिसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिये 04 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मज़बूती प्रदान करने के साथ–साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने व शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी प्रदान किया है।

जब हमारे चिकित्सकों के पास इतने मज़बूत अधिकार हैं तब भी वे विचलित आख़िर क्यों होते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रुप से हमें ख़ोजना होगा अगर इतने अच्छे वातावरण में हमारा चिकित्सक कार्य करने से घबड़ाता है तो कल जब मान्यता मिल जायेगी तब वह अपने आपको किस ढंग से समाज के सामने प्रस्तुत करेगा ! एक प्रश्न बार–बार हमारे मन को परेशान करता है कि क्या हमारा चिकित्सक अपना आत्म–विश्वास खो चुका है ! या प्राप्त अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है !! गहनता से चिन्तन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलकर आता है कि न तो चिकित्सक अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है और न ही खोये आत्म–विश्वास वाला, वह अति सुरक्षा के चक्कर में परेशान रहता है, हर चिकित्सक को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि वह चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में है तो उसे हर उस नियम का पालन करना होगा जो नियम जनपद में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु सरकार द्वारा बनाये गये हैं और यहां पर नियमों का पालन नहीं करना हमारे चिकित्सकों की सबसे बड़ी कमी है, अभी भी ऐसे चिकित्सकों की बहुतायत है जो बिना पंजीयन के चिकित्सा व्यवसाय में लिप्त हैं, चिकित्सा व्यवसाय के लिये यह आवश्यक है कि चिकित्सक जिस विधा का चिकित्सक है उसे अपना पंजीयन अपने बोर्ड/परिषद में कराना आवश्यक होता है जो लोग बिना पंजीयन के कार्य करते हैं वे चिकित्सा व्यवसाय के योग्य नहीं होते हैं, उन्हें चिकित्सा करने का संवैधानिक अधिकार भी नहीं होता है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि अब पंजीयन लाईफ–टाईम नहीं होता है हर पंजीयन की एक अवधि निर्धारित है निर्धारित अवधि के बाद एक बार कराया गया पंजीयन वैध नहीं रहता है अस्तु हर चिकित्सक को चाहिये कि अपने पंजीयन की वैधता ठीक–ठाक रखे और सबसे बड़ी समस्या एक और है, कहने को तो कोई कुछ भी कहे परन्तु यह सत्य है कि हमारे चिकित्सकों में अधिकांश संख्या उनकी है जो अपनी पद्धति पर भरोसा न करते हुये दूसरी अन्य पद्धतियां अपने चिकित्सकीय व्यवहार में लाते हैं, ऐसे चिकित्सक कैसे खुलकर कार्य कर सकेंगे ऐसे लोग ही नयी–नयी अफवाहों को जन्म दिया करते हैं।

सबसे मजेदार बात तो यह है कि जब चिकित्सक इस प्रकार की सूचनायें हमें देता है तो उसके उत्तर भी वह स्वंय ही दे देता है, [illegible] चिकित्सक यह बता रहा है कि सर जो कुछ भी हो रहा है वह <u>बांगरमऊ काण्ड</u> के कारण है, आपको बताते चलें कि कानपुर व लखनऊ से सटे जनपद उन्नाव के बांगरमऊ तहसील में एक झोलाछाप चिकित्सक द्वारा एक ही सिरिंज से लोगों को इन्जेक्ट कर 38 लोगों को **H.I.V.** पॉजेटिव कर दिया गया था।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होमयोपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के प्रशासनिक कार्यलय में बोर्ड की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यगणों द्वारा इलेक्ट्रो होमयोपैथी की वर्तमान स्थिति पर गहन चर्चा करते हुये।

सरकार के मांगने पर ही सूचना दें – डा0 इदरीसी

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नेतागण ज़्यादा उतावलापन न दिखायें परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं भारत सरकार आपसे से जो जानकारी मांगे वही और उतनी ही जानकारी सरकार को दें, अनावश्यक जानकारियां परिस्थितियां बदल देती हैं यह विचार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एशोसिएशन ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 मो0 हाशिम इदरीसी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता संघर्ष समिति द्वारा गाँधी पीस फाउन्डेशन, दीन दयाल मार्ग, नई दिल्ली के कमेटी कक्ष में आयोजित बैठक में व्यक्त किये, आपको यह बताना उचित होगा कि भारत सरकार द्वारा गठित इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए इन्टरडिपार्ट– मेन्टल कमेटी द्वारा 9 जनवरी 2018 के उपरान्त उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में बुलायी गयी थी, इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा 9 जनवरी 2018 को पूरे भारत से भेजे गये प्रपोज़लों से कुछ लोगों को अपनी बात रखने हेतु नई दिल्ली आमंत्रित किया गया था।

इस कमेटी के सामने जिन लोगों ने अपने विचार रखे जब वह बाहर निकल कर आये तो अधिकांश सदस्यों ने यह बात कही कि भारत सरकार ने कुछ और प्रपत्र देने को कहा है जिसके लिए 20 फरवरी की तिथि निश्चित की गयी है, इस 20 फरवरी की तिथि का पूरे देश में विभिन्न संगठनों के द्वारा इस कदर प्रचार किया गया कि मानों 20 फरवरी को मान्यता मिल ही जायेगी, इस प्रचार का परिणाम यह हुआ कि एक बार फिर पूरे देश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ चलायमान हो गया, विभिन्न संगठनों के द्वारा मीटिंगों का दौर प्रारम्भ हो गया, प्रत्येक संगठन अपनी अपनी दावेदारी करने लगा जो लोग इन्टर– डिपार्टमेन्टल कमेटी को फेस करके आये थे उनका प्रस्तुतीकरण इस तरह का था कि मानों भारत सरकार ने उन्हें ही स्वीकार कर लिया है और उन्हीं को मान्यता प्रदान की जायेगी।

जिस संगठन का जैसा जी चाहा उसने उपने पक्ष में उसी तरह से प्रचारित किया चिकित्सकों की संख्या देने के नाम पर तरह–तरह के खेल खेले गये, कहीं लोगों को डराया भी गया कि यदि आपने नाम नहीं भेजा तो आप मान्यता से बाहर हो जायेंगे, सिलेबस व पाठ्यक्रमों पर चर्चा होने लगी लोग–बाग उन लोगों से सम्पर्क करने लगे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थायें चलाते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने जब 20 फरवरी की सच्चाई जानी, तो जो सच्चाई सामने आयी उसने यह बताया कि यह सब भ्रामक खबर थी, ज्यों–ज्यों 20 फरवरी नज़दीक आती गयी लोगों की सरगर्मियां बढ़ने लगीं एक ही दिन में 20 फरवरी से सम्बन्धित जानकारियां एकत्रित करने व प्राप्त प्रपत्रों को भारत सरकार को सौंपने के लिए 17 और 18 फरवरी को देश के विभिन्न कोनों में बैठकें आयोजित की गयीं, इसी एक बैठक में सम्मिलित होने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 मो0 हाशिम इदरीसी व महासचिव डा0 प्रमोद शंकर बाजपेयी दिल्ली गये, यह दोनों लोग बैठक में महज़ इस लिए शामिल हुए कि जिससे लोगों को यह सन्देश दिया जा सके कि भ्रम से ऊपर उठें और अनावश्यक प्रपत्र भारत सरकार को न सौंपें, इसी उद्देश्य से डा0 इदरीसी व डा0 बाजपेयी इस बैठक में सम्मिलित हुए।

बैठक का प्रारम्भ समिति के विधि सलाहकार सुप्रीम कोर्ट के वकील श्री आर0 एन0 सिंह व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री चौहान की उपस्थिति में हुई, श्री आर0 एन0 सिंह ने सभी उपस्थितियों का परिचय लिया और मीटिंग के मुख्य उद्देश्य पर आ गये, श्री सिंह की बातों को गम्भीरता से सुनने के बाद डा0 इदरीसी ने जोरदार शब्दों में इस बात का खण्डन किया कि

भारत सरकार द्वारा कुछ और मांगा गया है, डा0 इदरीसी ने कहा कि मौखिक जैसी कोई बात नहीं होती है, सरकार को जो कुछ भी चाहिये वह उसे लिखित रूप से मांगे और हमारे साथियों को जो कुछ भी जानकारी देनी है वह उतनी ही दें जितनी मांगी जाये, 9 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में चर्चा करते हुए डा0 इदरीसी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया है और भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को पत्र लिखकर सूचित भी कर दिया है कि भारत सरकार आज भी 21 जून, 2011 को जारी आदेश के स्टैण्ड पर स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ऐसी दशा में व्यर्थ की लिखा पढ़ी कोई अच्छे परिणाम नहीं देंगे।

जब श्री आर0 एन0 सिंह ने इस विषय पर इहमाई के महासचिव डा0 प्रमोद शंकर बाजपेयी से इस विषय पर अपने विचार रखने को कहा तो इसपर डा0 बाजपेयी ने कहा कि हम डा0 इदरीसी के विचारों का समर्थन करते हैं जो सत्य है उसे हमें स्वीकारना होगा, वर्तमान परिस्थितियां कुछ नया करने के स्थान पर अपनी बातों पर स्थिर रहने का है, सरकार का रूख इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए साकरात्मक है, इसी विषय पर जब डा0 वी0 कुमार से विचार रखने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं यहां इसलिए आया हूं कि आप लोगों से कहूं कि व्यर्थ की भागदौड़ व अनावश्यक लिखा पढी न करें, जो भारत सरकार द्वारा किया जायेगा उसके परिणाम अच्छे ही आयेंगे, तमाम विचारों को सुनने के बाद बैठक के संचालक श्री आर0 एन0 सिंह ने कहा कि डा0 इदरीसी के अनुसार हमें अब कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सरकार को एक पत्र लिखकर यह जानना चाहूंगा कि 9 जनवरी की घटना पर आपने क्या निर्णय लिये यदि निर्णय ठीक नहीं होंगे तो हम कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजेंगे, इस पर डा0 इदरीसी ने कहा कि आप सिर्फ जानकारी मांगे कोर्ट या नोटिस देने की बात न करें इसपर श्री सिंह ने कहा कि मैं आपके अनुभव और उम्र से बहुत प्रभावित हूँ डा0 डी0 के0 पाल व डा0 वी0 कुमार आपके बोर्ड के छात्र हैं यह जानकर मैं हैरान हूँ इसलिए अब मैं सिर्फ पत्र लिखकर भारत सरकार से जानकारी चाहूंगा, कोर्ट की कोई बात नहीं करुंगा।

श्री सिंह की इस बात का सभी उपस्थिति सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया और एक मत से यह स्वीकारा गया कि अब कुछ करने के स्थान पर पत्र व्यवहार द्वारा जानकारी प्राप्त की जायेगी, कार्यक्रम में उपस्थित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के केन्द्रीय सचिव डा0 इदरीस खान ने कहा कि समय के साथ, समय के अनुसार निर्णय लेने चाहिये अब वह समय नहीं है जब अलग अलग बातें की जायें, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए हम ऐसा व्यवहार करें जिससे कि सरकार के पास कोई गलत संदेश न जाये।

बैठक में अपने विचार रखते हुए डा0 पाढी ने कहा कि हमें भारत सरकार को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वैज्ञानिक पक्ष से अवगत कराना होगा इसपर डा0 इदरीसी ने कहा कि 28 फरवरी, 2017 को जारी पत्र का अवलोकन करें क्या उस पत्र में भारत सरकार ने कोई ऐसी जानकारी चाही है !

बैठक में अपने विचार रखते हुए पंजाब मोगा से पधारे डा0 कुलदीप सिंह ने अपने अंदाज में इस विषय पर अपने विचार दिये, दिल्ली के डा0 के0 डी0 तिवारी ने कहा कि मैं 9 जनवरी को इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सामने उपस्थित था मुझे सब पता है कि किसने क्या कहा लेकिन आज जो तय हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

हैदराबाद से पधारे डा0 एम0 हुसैन ने कहा कि अब कुछ कहने सुनने की बात नहीं रही जो तय हुआ है उसी पर अमल करें, संगठन के दिल्ली के प्रभारी कपिल ठाकुर ने कहा कि हम पद्धति का हित चाहते हैं यदि ऐसा करने से पैथी का हित होता है तो हम उसका समर्थन करते हैं, संगठन के महासचिव डा0 वी0 के0 सिंह ने कहा कि आज की मीटिंग में जो कुछ भी निर्णित हुआ है निश्चित रूप से उससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला होगा इसलिए मैं हर बात का समर्थन करता हूँ, बैठक की अध्यक्षता कर रहे डा0 डी0 के0 पाल ने कहा कि इस बैठक में डा0 इदरीसी, डा0 बाजपेयी व डा0 वी0 कुमार से सम्मिलित होकर इस बैठक की गरिमा को बढ़ाया मैं इनका आभारी हूँ जो आज यह तीनों पैथी हित में बिना आमंत्रण पधारे, हम सब डा0 इदरीसी व डा0 बाजपेयी के अनुभवों से प्रेरणा लेंगे और आज जो निर्णय लिया गया है उस पर कायम रहेंगे।

नई दिल्ली में शीर्ष संस्था प्रमुखों की बैठक में डा0 मो0 इदरीस खान – केन्द्रीय सचिव इहमाई, डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई – महासचिव इहमाई एवं डा0 एम0 एच0 इदरीसी –चेयरमैन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश भाग लेते हुये। – छाया गज़ट

बदली परिस्थितियों के अनुरुप – बदलें विद्यालय

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मान्यता का विषय जो भारत सरकार के विचाराधीन था वह विषय धीरे–धीरे सुलझ रहा है या यों कहा जाये कि विषय लगभग–लगभग भारत सरकार द्वारा सुलझाया जा चुका है, अब तो मात्र औपचारिकता ही शेष है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमे यह है कि इस विषय को सुलझाने में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के पक्ष में 21 जून, 2011 को जारी आदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है एक बार फिर यही 21 जून का आदेश उभर कर सामने आया है आप सबको जानकारी होगी कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमितिकरण के लिये 28 फरवरी, 2017 को एक इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का गठन किया था, 10 महीनों तक चली प्रपोज़ल लेने की प्रक्रिया जैसे ही 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त हुयी बिना समय गंवाये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के मामले के निस्तारण हेतु भारत सरकार द्वारा 09 जनवरी, 2018 को समस्त प्रपोज़ल प्रदाता संगठनों में से कुछ संगठनों को अपना पक्ष रखने हेतु आमंत्रित किया, हर संगठन ने अपनी क्षमतानुसार अपना पक्ष रखा, कई पक्षों को सुनने के बाद इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा इस विषय पर निर्णय ले लिया गया, इसी के साथ जो 20 फरवरी का भ्रमजाल लोगों द्वारा फैलाया गया था उसका पटाक्षेप हो गया।

यह जानकारी भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के महासचिव श्री प्रमोद शंकर बाजपेई को पत्र लिखकर दी इन बदली हुयी परिस्थितियों की जानकारी अपने से जुड़े लोगों को देने हेतु 23 फरवरी, 2018 को बोर्ड के मुख्यालय लखनऊ में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से सम्बद्ध इन्सटीट्यूटस/मेडिकल इन्सटीट्यूट्स/स्टडी सेन्टर्स के संचालकों की बैठक बुलायी गयी इस बैठक को सम्बोधित करते हुये बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0एच0 इदरीसी ने कहा कि अब बादल छंट चुके हैं सारे उहा–पोह खत्म हो चुके हैं , भारत सरकार ने बार–बार 21 जून, 2011 के आदेश पर बल देते हुये अन्ततः 12 फरवरी, 2018 को इहमाई के महासचिव श्री प्रमोद शंकर बाजपेई को पत्र लिखकर इस बात की पुष्टि कर दी, अब इन बदली हुयी परिस्थितियों में हम सभी को कुछ परिवर्तन करने होंगे यह परिवर्तन मानसिक स्तर पर भी होने के साथ–साथ व्यवहारिक स्तर पर भी दिखायी देने चाहिये, जो विद्यालयों के संचालकगण हैं उन्हें अपने विद्यालय को 30 मार्च तक उच्चीकृत कर लेना होगा, इन्डोर की व्यवस्था यदि नहीं हो पाती है तो विद्यालय से सम्बद्ध एक वाहन रोगी चिकित्सालय होना आवश्यक है और हर विद्यालय को अपने स्टाफ की पुर्न संरचना करनी चाहिये और ओ0पी0डी0 की नियमित समयावधि होनी चाहिये यह वह प्रारम्भिक आवश्यकतायें हैं जिनकी पूर्ति अति शीघ्र हो जानी चाहिये बोर्ड समय–समय पर अपने हर को इस संबन्ध में सूचनायें देता रहता है और यह अपेक्षा भी करता है कि जो सूचनायें बोर्ड द्वारा आपको प्रेषित की जा रही हैं उसपर गम्भीरता से ध्यान दें जो नये कोर्स बोर्ड द्वारा 24 अप्रैल, 2017 को प्रारम्भ किये गये थे वर्ष 2018 के लिये उसमें कुछ परिवर्तन किये गये हैं कुछ नये विषय जोड़े गये हैं इसलिये इन विषयों के शिक्षण हेतु विषय विषेशज्ञों की उपलब्धता भी निश्चित करें भवन से सम्बंधित मानकों की जानकारी आपको कई बार दी जा चुकी है सम्भवतः इन मानकों की पूर्ति के लिये यह अंतिम अवसर होगा, प्रत्येक संस्था संचालक का यह दायित्व है कि कम से कम वह अपने जनपद में प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक को पंजीयन व रिन्युवल की जानकारी दें, उन्हें बतायें कि बिना पंजीयन व वैध तिथि के बाद भी प्रैक्टिस में लिप्त रहना किसी अपराध से कम नहीं है।

पूरे प्रदेश में इस समय चिकित्सकों की जाँच–पड़ताल का काम विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, 30 मार्च के बाद इस अभियान में और भी तेज़ी आनी है इसलिये प्रत्येक चिकित्सक अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां अवश्य प्रेषित कर दें अन्यथा परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, इस बैठक को सम्बोधित करते हुये बोर्ड के प्रवक्ता डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी बोर्ड अधिकारिक रुप से आगे है मान्यता/नियमि–तिकरण का पूरा लाभ बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों एवं चिकित्सकों को प्राप्त होगा मगर इस लाभ को लेने के लिये विद्यालयों और चिकित्सकों के कुछ दायित्व हैं जिन्हें हमें निभाने ही पड़ेंगे, जिन लाभों के लिये हमारे सभी साथी वर्षों से प्रतीक्षारत थे वह प्रतीक्षा समाप्त सी हो गयी है, जो लोग तरह–तरह के भ्रम फैलाते थे उन्हें अब भ्रम फैलाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। हमें अपने साथियो को यह बताना है कि भ्रम उसी पर प्रभावी होता है जो भ्रम जाल में फंसता है, हमारे साथियों को यह जानकारी है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न रही हों परन्तु बोर्ड हर परिस्थितियों से उबरकर ऊपर आया है, पिछले दिनों हमारे कुछ साथी जो वर्षों से हमारे साथ जुड़े हैं हमारी कार्य–प्रणाली से भली भांति परिचित भी हैं, जब वह विचलित होते हैं तो हम यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या हमारे साथी अभी भी अपने आपको कमज़ोर मानते हैं ?आपको याद रखना चाहिये कि जो कमज़ोर होता है वही ज़ोर से चिल्लाता है और अफ़वाहों का बाज़ार भी वही गर्म करता है, यदि आप इन अफ़वाहों में पड़ते हैं तो यह आपकी कमज़ोरी दर्शाती है।

होली का रंगीन त्योहार आप सबके जीवन में नये रंग भरे 12 फरवरी, 2018 का पत्र बोर्ड की तरफ से हमारे हर संस्था संचालक को होली का दीर्घकालिक तोहफ़ा है, इस बैठक में बोर्ड के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने आगामी परीक्षाओं की विस्तृत जानकारी दी, इस बैठक में प्रदेश के लगभग सभी इन्सटीट्यूटों के संचालक व स्टडी सेन्टर्स के संचालकगण उपस्थित रहे।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक परीक्षायें 24 मार्च से

M.B.E.H. , G.E.H.S., P.G.E.H. की वार्षिक, **F.M.E.H.** की सेमेस्टर तथा **A.C.E.H.** की परीक्षा आगामी 24 मार्च, 2018 से प्रस्तावित हैं। **F.M.E.H.** एवं **A.C.E.H.** परीक्षाओं की सेमेस्टर परीक्षा का वार्षिक कैलेण्डर आपको पूर्व में भेजा जा चुका है। दिसम्बर सेमेस्टर के लिये यदि कोई छात्र फार्म भरने से छूट गया हो तो उसे मार्च सेमेस्टर में सम्मिलित होने हेतु अविलम्ब फार्म शुल्क के साथ कार्यालय को प्रेषित करें।

M.B.E.H. , G.E.H.S., P.G.E.H.की वार्षिक परीक्षायें दो पालियों में होंगी एवं **F.M.E.H.** की सेमेस्टर तथा **A.C.E.H.** की परीक्षायें केवल प्रथम पाली में होंगी। यह जानकारी बोर्ड के रजिस्ट्रार/परीक्षा प्रभारी डा0 अतीक अहमद ने गज़ट को एक भेंट में दी। डा0 अहमद ने बताया कि परीक्षाओं को पारदर्शी व नकल मुक्त बनाने के व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं इसकी सूचना केन्द्र व्यवस्थापकों को प्रेषित की जा रही है परीक्षा शान्ति पूवर्क सम्पन्न हो इस हेतु परीक्षा केन्द्रों को निदेर्शित कर दिया गया है। सभी केन्द्रों को परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र मार्च के द्वितीय सप्ताह में उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है :–

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE, U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION March 2018

Name of the course	24th March, 2018 Saturday Ist. Meeting	24th March, 2018 Saturday 2nd Meeting	26th March, 2018 Monday Ist. Meeting	26th March, 2018 Monday 2nd Meeting	27th March, 2018 Tuesday Ist. Meeting	27th March, 2018 Tuesday 2nd Meeting	28th March, 2018 Wednesday Ist. Meeting
M.B.E.H. 1st. Professional	Anatomy 1st.	Anatomy 2nd.	Pharmacy	Philosophy	Physiology 1st.	Physiology 2nd.	XX
M.B.E.H. 2nd. Professional	Pathology 1 st.	Pathology 2nd.	Hygiene & Health	M. Juris.Prud. & Toxicology	Materia Medica	Pract of Med. 1 st.	Pract of Med. 2 nd.
M.B.E.H. Final Professional	Midwifery& Gynics. 1st.	Midwifery & Gynics. 2nd.	Opthalmology 1st.	Opthalmology 2nd.	Materia Medica	Pract of Med. 1st.	Pract of Med. 2nd.
G.E.H.S.1st. Professional	Anatomy 1st.	Anatomy 2nd.	Pharmacy	Philosophy	Physiology 1st.	Physiology 2nd.	XX
G.E.H.S.2nd. Professional	Pathology 1 st.	Pathology 2nd.	XX	M. Juris.Prud. & Toxicology	Materia Medica	Pract of Med. 1 st.	Pract of Med. 2 nd.
G.E.H.S.(Direct) Final Professional	XX	Surgery	Physical & Health Educ.	XX	Materia Medica	Pract of Med. 1 st.	Pract of Med. 2 nd.
P.G.E.H.1st. Professional	Materia Med. 1st.	Materia Med. 2 nd.	Pharmacy	Philosophy	XX	Pract of Med. 1st.	Pract of Med 2 nd.
P.G.E.H.(Direct) Final Professional	XX	XX	XX	Materia Med. 1st.	Materia Med. 2 nd.	Pract of Med. 1st.	Pract of Med 2 nd.
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	XX	Pharmacy & Philosophy	XX	XX	XX	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	XX	Hygiene & Health	XX	Environmental Science	XX	XX
F.M.E.H. 3rd. Semester	Opthalmology including E.N.T.	XX	M. Juris.Prud. & Toxicology	XX	Dietetics	XX	XX
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynaecology	XX	Materia Medica	XX	Practice of Medicine	XX	XX
A.C.E.H.	Anatomy & Physiology	XX	Pharmacy- Philosophy & Materia Medica	XX	Pathology- Hygiene & Health- M.Jrisprudence &Toxicology	XX	Midwifery-Gynics Opthalmology incl. E.N.T. & Practice of Med.

Timing < 1st. Meeting : 8:00 A.M.to 11:00 A.M.
2nd. Meeting : 2:00 P.M. to 5:00 P.M.

Atiq Ahmad
Examination Incharge